न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **237/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/729

उनवान

1. कृष्णा मेघवाल पत्नी रमेश जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी पालवासखुर्द वीरधोलिया, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. रमेश मेघवाल पुत्र जयराम जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी पालवासखुर्द वीरधोलिया, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी, पटवार हल्का बड़ियार, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का नूरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.03.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोरड़ी, पटवार हल्का बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1059 रकबा 1.1493 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हम प्रार्थीगण के नाम पर बराबर हिस्सेनुसार खातेदारी हक से अंकित है। राजस्व ग्राम रठाना, पटवार हल्का नूरडा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम पर अंकित है।

2. यह कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की कृषि आराजी में आवागमन करने के लिये 30 फीट चौड़ा मार्ग मुख्य रास्ते से अर्थात मौजा रठाना की किस्म रास्ता आराजी नम्बर 1047 के उत्तरी दिशा में स्थित आराजी नम्बर 1063 की भूमि में संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये भू भाग पर सदीप से बना हुआ है जो मुख्य रास्ते से शुरू हो दक्षिण से उत्तर एवं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाता हुआ होकर हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी के दक्षिणी पूर्वी मुहाने के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर हम प्रार्थीगण एवं हमारे पूर्वाधिकारी इस कृषि भूमि आराजी पर सदीप [illegible] उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान [illegible] इसी रास्ता का हमारी जमीन पर आवागमन के रूप में प्रयोग कर रहे है। इसके अलावा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने–ले–जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नही है और न ही कभी रहा है। इसके अलावा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग नही है। इसलिये हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा तक आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1063 की भूमि पर संलग्न नक्शे में चिह्नित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता रिकोर्डेड कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और इस भूमि में रिकोर्डेड मार्ग कायम किये जाने में जो भी व्यय होगा वह एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत हम प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार जमा/वहन करने को तैयार एवं तत्पर हैं।

3. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 27–11–2025 को उत्पन्न हुआ जब हम प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से हमारी आराजी की सीमा तक पहुँचने के लिये उक्त ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1063 में 30 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नही की, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जायें कि हम प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि पर पहुँचने के लिए ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1063 में से संलग्न नक्शे में चिन्हित अनुसार भू भाग पर 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जायें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार हम प्रार्थीगण जमा/वहन करने को तैयार है। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसील मावली के पटवार हल्का बडियार के ग्राम मोरडी के आराजी नम्बर 1059 रकबा 1.1493 हैक्टेयर भूमि खातेदार कृष्णा मेघवाल पत्नि रमेश मेघवाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल एवं रमेश पुत्र जयराम मेघवाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल निवासीयान पालवासखुर्द वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु वर्तमान में रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसकी अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि तक आने–जाने का संलग्न प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी वाला है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि तक आने–जाने के लिए सलंग्न प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध नहीं हो सकता है। राजस्व ग्राम रठाना के आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर किरम बजड होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में से 9.14 मीटर चौडा एवं 140 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 1280 वर्गमीटर अर्थात 0.1280 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है। तहसील मावली के ग्राम मोरड़ी के आराजी नम्बर 1059 की सीमा तहसील घासा के ग्राम रठाना के बिलानाम आराजी नम्बर 1063 से लगती हुई है। ग्राम रठाना की वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर 920000/– प्रति हेक्टेयर अनुसार प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.1280 हैक्टेयर की कीमत 117760 रूपये बनती है। गुगल इम्पोज साथ सलंग्न है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक भीमल की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई।

6. अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम मोरडी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 169 पर दर्ज आराजी नम्बर 1059 रकबा 1.1493 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी अधिकार से हिस्सेनुसार दर्ज है। ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1047 रकबा 0.2671 किस्म रास्ता एवं प्रार्थीगण की ग्राम मोरडी की सह खातेदारी आराजी नम्बर 1059 रकबा 1.1493 हेक्टेयर भूमि के मध्य ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी सह खातेदारी की आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता ग्राम रठाना की बिलानाम आराजी नम्बर 1047 रकबा 0.2671 किस्म रास्ता से ग्राम रठाना की ही बिलानाम आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर में से होकर जाता हैं। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.1280 हैक्टेयर अर्थात 1280 वर्गमीटर भूमि [illegible]। जिसकी लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 9.14 मीटर है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली ग्राम रठाना के बिलानाम आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर में से 0.1280 हैक्टेयर अर्थात 1280 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 9,20,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन 1,17,760 रू. बनना बताया है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 2,35,520 रूपये बनता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम रठाना पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 1 पर दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1063 रकबा 2.5981 हैक्टेयर में से चौड़ाई 9.14 मीटर एवं लम्बाई 140 मीटर के साथ 0.1280 हैक्टेयर अर्थात 1280 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाते हुए प्रस्तावित की गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 1,17,760/– का दुगुना 2,35,520/– रूपयें अक्षरे दो लाख पैंतीस हजार पांच सौ बीस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर